



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.पी.-अ.-16062026-273480
CG-MP-E-16062026-273480

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड(ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकारसे प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2941]

नई दिल्ली, , शुक्रवार, जून 12, 2026/ज्येष्ठ 22, 1948

No. 2941]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2026/JYAISTHA 22, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम मध्य रेलवे (निर्माण-I)]

अधिसूचना

भोपाल, 3 जून, 2026

का.आ. 3047(अ).—केंद्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989 (रेल संशोधित अधिनियम 2008) की धारा 20 (क) की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य के नर्मदापुरम जिले में विशेष रेल परियोजना इटारसी-भोपाल-बीना खण्ड (236.97 कि.मी.) नई चौथी रेल लाईन के निर्माण हेतु के निष्पादन, अनुरक्षण प्रबंधन एवं संचालन के लिए आपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20 (घ) की उप धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम अधिकारी अर्थात् सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभाग-इटारसी, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) को लिखित रूप में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम अधिकारी अपेक्षाकर्ता को व्यक्तिगत से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आपेक्षों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच यदि कोई हो, जिसे सक्षम अधिकारी आवश्यक समझ करने के पश्चात आदेश द्वारा या तो अपेक्षों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 (घ) की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखाकन और भूमि के अन्य ब्योरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम अधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुविभाग इटारसी व उप मुख्य अभियंता, निर्माण-प्रथम पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल के कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकेगा।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य में नर्मदापुरम जिले के इटारसी तहसील के अंतर्गत सोनासावरी ग्राम में, इटारसी-भोपाल-बीना खण्ड (236.97 कि.मी.) नई चौथी रेल लाईन के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की जाने वाली सरचना सहित एवं सरचना रहित भूमि का संक्षेप विवरण

क्र. सं.	अर्जनाधीन खसरा नम्बर	रेलवे द्वारा भूमि का कुल रकवा (हैक्टेयर में)	राजस्व रिकार्ड अनुसार कुल रकवा (हैक्टेयर में)	अर्जित रकवा (हैक्टेयर में)	भूमि का प्रकार (निजी / शासकीय)	भूमि की प्रकृति (कृषि / बंजर)	भूमि (सिंचित / असिंचित)
1	55	1.332		0.042	शासकीय	पडत	
2	56	0.341		0.020	शासकीय + निजी	पडत	
3	57	0.754		0.236	शासकीय		
4	58	1.285		0.178	शासकीय		
5	59	0.069		0.069	निजी	डायवर्टेड	
6	61	1.602		0.318	शासकीय		
7	60	0.029		0.029	निजी	डायवर्टेड	
8	63	0.367		0.047	निजी	पडती	
9	68	0.362		0.094	निजी	डायवर्टेड	
10	69	0.157		0.008	निजी	डायवर्टेड	
11	70	4.095		0.115	शासकीय	भूजल	
12	71	0.482		0.321	निजी	डायवर्टेड	
13	72	1.108		0.282	निजी	डायवर्टेड	
14	118	1.231		0.046	शासकीय	रास्ता	
15	225/1,225/2	0.320		0.138	निजी	डायवर्टेड	
16	224/2,224/3	0.601		0.175	निजी	डायवर्टेड	
17	223	0.923		0.092	निजी	कृषि	सिंचित
18	218	2.994		0.076	शासकीय		
19	217	0.113		0.018	निजी	डायवर्टेड	
20	215/1	1.621		0.017	निजी	कृषि	सिंचित
21	215/2	0.446		0.039	शासकीय	नहर	
22	215/3	0.459		0.015	निजी	कृषि	सिंचित
23	216	0.440		0.065	निजी	कृषि	सिंचित
	कुल रकवा हैक्टेयर में	21.128		2.441			

[फा.सं. कंप्यूटरन.330954 पमरे-बीपीएलसीओइंजि (एमआईएससी)/82/2025-ओ/ओडीवायसीइ/सी-1/बीपीएल]

इंद्रजीत वर्मा मुख्य अभियंता निर्माण - I

MINISTRY OF RAILWAYS**[West Central Railway (Con-1)]****NOTIFICATION**

Bhopal, the 3rd June, 2026

S.O. 3047(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989(as Amendment Act 2008, the Central Government, After being satisfied that the land, brief description of which is given in the Schedule below, is required for public purpose for execution, maintenance, management and operation of special Railway project construction of Etarsi-Bhopal-Bina Section (236.97 Km) 4th New Line in Narmadapuram District of the State of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 20(d) of the said Act.

Every such objection shall be made in writing to the Competent Officer and Competent Authority and Sub-Divisional Officer(Revenue), Sub-Division-Itarsi, District Narmadapuram, M.P. and shall set out there in the grounds there of and the Competent Officer shall afford the applicant an opportunity of being heard either in person or through a legal practitioner and after hearing all such objection and making such further inquiry, if any, as the Competent Officer may deem necessary, may by order either allow or disallow the objection.

The order made by the competent authority under sub-section(2) of section 20(d) of the said Act shall be final.

The plan and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the above mentioned office of the competent authority and the office of Sub-Divisional Officer (Revenue) Sub-Division Itarsi and Deputy Chief Engineer, (Con-1) west central railway, Bhopal

SCHEDULE

Brief details of land with or without structure to be acquired for the construction project of Etarsi-Bhopal-Bina Section (236.97Km) 4th New Line in the state of Madhya Pradesh

Village - Sonasavri

Tehsil – Itarsi

District - Narmadapuram

Sr. No.	Survey No.	Total area of Land	Total area of Revenue	Area of acquired Land	Type of Land private/Govt.	Nature of Land agricultural/fallow	Irrigated/ Non-irrigated land
1	55	1.332		0.042	Govt	Fallow Land	
2	56	0.341		0.020	Govt + Private	Fallow Land	
3	57	0.754		0.236	Govt		
4	58	1.285		0.178	Govt		
5	59	0.069		0.069	Private	Diverted	
6	61	1.602		0.318	Govt.		
7	60	0.029		0.029	Private	Diverted	
8	63	0.367		0.047	Private	Fallow Land	
9	68	0.362		0.094	Private	Diverted	
10	69	0.157		0.008	Private	Diverted	
11	70	4.095		0.115	Govt.	Bhujal	
12	71	0.482		0.321	Private	Diverted	
13	72	1.108		0.282	Private	Diverted	
14	118	1.231		0.046	Govt.	Road	
15	225/1,225/2	0.320		0.138	Private	Diverted	
16	224/2,224/3	0.601		0.175	Private	Diverted	

17	223	0.923		0.092	Private	Agriculture	Irrigated
18	218	2.994		0.076	Govt.		
19	217	0.113		0.018	Private	Diverted	
20	215/1	1.621		0.017	Private	Agriculture	Irrigated
21	215/2	0.446		0.039	Govt.	Nahar	
22	215/3	0.459		0.015	Private	Agriculture	Irrigated
23	216	0.440		0.065	Private	Agriculture	Irrigated
Total Area in hec.		21.128		2.441			

[F.No Computer No.330954 WCR-BPLCOENGG(Misc.)/82/2025-O/o Dy.CE/C-I/BPL]

INDRAJEET VERMA, Chief Engineer, Construction-I